

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1- दिलखुश पुत्र शंकर लाल कहार नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति मंजूदेवी पत्नी शंकरलाल कहार निवासी वार्ड नं. 17 बेगू रोड़, उदयभान गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- सीताराम पुत्र शंकर लाल कहार नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति मंजूदेवी पत्नी शंकरलाल कहार निवासी वार्ड नं. 17 बेगू रोड़, उदयभान गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-वादीगण

बनाम

- 1- शंकरलाल पिता देबी कहार निवासी उदयभान गेट, हरिजन बस्ती के पास, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- रमेश पिता देबी कहार निवासी उदयभान गेट, हरिजन बस्ती के पास, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- मोडी पुत्री देबी कहार पत्नी ओमप्रकाश कहार निवासी उदयभान गेट, हाल रामपुरा बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- प्रेम पुत्री देबी कहार पत्नी काना कहार निवासी उदयभान गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- ऐजन पुत्री देबी कहार पत्नी महावीर कहार निवासी तेली मोहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- केसी बाई पत्नी देबी कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- उपपंजीयक शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र : खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालीन एवं बंटवाड़ा आराजियात अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर 06 सन् 2025 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा होकर वादीगण द्वारा प्रकरण में आगे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 06 माह 01 सन् 2026 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं